



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6141

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 42074 सन् 2025

विशाल @ विशाल पण्डित

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- अंजलि सिंह तोमर, गौरव सिंह तोमर, इन्दर पाल सिंह तोमर
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, को सुना गया तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है जिसमें प्रकरण अपराध संख्या 360 सन् 2024, उत्तर प्रदेश गुंडा एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत, थाना हाथरस कोतवाली, जनपद हाथरस में विचारण की लम्बित अवधि में जमानत पर रिहाई की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि गैंग-चार्ट में वर्णित सभी प्रकरणों में आवेदक को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता अथवा आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (b) में वर्णित किसी गैंग की गतिविधियों में सहायता अथवा मदद नहीं की है। उक्त प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24.07.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है, यह वचन देता है कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की अत्यधिक लम्बितता के कारण विचारण का शीघ्र समापन होने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** में पारित निर्णय पर आधारित तर्क प्रस्तुत किया है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उक्त तथ्य का खण्डन नहीं कर सके।

तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **विशाल @ विशाल पण्डित** को उक्त मुकदमा अपराध संख्या में व्यक्तिगत मुचलके तथा दो विश्वसनीय जमानतदारों द्वारा समान राशि में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर मुचलका निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डराने-धमकाने का कार्य नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

9 जनवरी, 2026

पीकेएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।